निर्णय वइजलास श्री रामसिंह गुर्जर आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी छबडा जिला बारां द्वारा अध्यासित

प्रकरण संख्या 50/2024
दायरा दिनांकः—03.06.2024
निर्णय दिनांकः— 12.2.25

उनवान

1. नफीसा आयु 70 वर्ष पत्नि सलीम जाति मुसलमान निवासी ग्राम चावलखेडी तहसील छबडा जिला बारां (राज0)

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार छबडा जिला बारां (राज0)

वाद पत्र अन्तर्गत धारा,88,89,91,आर0 टी0 एक्ट0

निर्णय दिनांकः— 12.2.25

अभिभाषक उपस्थितः—1. श्री टीकमचन्द ढोडरिया — वादी

अभिभाषक वादी द्वारा वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88,89,91, आर. टी.ए विरूद्ध अप्रार्थीगण के न्यायालय में इस आशय का पेश किया गया कि ग्राम चॉवलखेडी पटवार हल्का बारई तहसील छबड़ा में भूमि खसरा नंबर 231 रकबा 0.0632 भूमि खसरा नंबर 234 रकबा 0.1138 किता दो कुल रकबा 0.1770 हैक्टर हे यह भूमि वर्तमान जमांबदी में वादीया के पति सलीम पुत्र शरी खाँ जाति मुसलमान निवासी ग्राम चॉवलखेडी तहसील छबड़ा के खातेदारी में दर्ज चली आ रही हे इस भूमि को वाद पत्र मे वाद ग्रस्त भूमि के नाम से सम्बोधित किया गया है। वादीया के पति सलीम का देहान्त दिनांक 04/10/2023 को हो चुका हे ओर वादीया ही मृतक सलीम की एक मात्र उत्तराधिकारी है। वाद ग्रस्त भूमि राजस्थान टेनेन्सी एक्ट के प्रावधान लागू हुए उस समय तथा जागीर पुर्नग्रहण अधिनियम के प्रापधान लागू हुए उस समय वादीया के पति के पिता के कब्जे काश्त में चली आ रही थी उनकी मृत्यु के पश्चात वादीया के पति के कब्जे काश्त में थी तथा वर्तमान समय मे वादीया के कब्जे काश्त मे चली आ रही हे इस प्रकार वाद ग्रस्त भूमि इन कानूननो के लागू हाने के समय से ही तथा वादीया के कब्जे काश्त में निरन्तर चली आ रही हे वादीया के पति वाद ग्रस्त भूमि पर स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा छबड़ा से ऋण भी ले रखा है। वादीया अपने पति के देहान्त के पश्चात वाद ग्रस्त भूमि का इतकाल अपने नाम तस्दीक करवाने तहसीलदार महोदय छबड़ा के पास दिनाक 04/12/2023 को गई तो उन्हाने यह कहते हुए मना कर दिया कि इस भूमि के खाते पर माफियात रिज्यूमशन का नोट लगा हुआ हे इस कारण इतकाल तस्दीक नहीं कर सकता इसके लिए आप सक्षम न्यायालय में दावा प्रस्तुत करें। Rajasthan Land Reforms and Resumption of Jagirs act 1952 (राजस्थान

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

भूमि सुधार तथा जागीर पुन ग्रहण अधिनियम 1952) के प्रावधानों के अन्तर्गत माफी की जमीनो पर कानूनन खातेदारी अधिकार प्रदान किये जा चुके है इस कारण राजस्व रिकार्ड में माफियात रिज्यूमशन एक अनावश्यक अकन रहा गया है। माफी की भूमियो पर पहले राजस्व रिकार्ड में माफियात का अंकन होता था इस एक्ट के प्रावधान लागू होने पर माफियात रिज्यूम तो हो गई माफियात रिज्यूमशन का नोट लगा दिया गया था इस प्रकार के नोट का अब कोई औचित्य नही रहा हे इस कारण अनेकानेक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा हे इस प्रकार के नोट को वाद ग्रस्त भूमि के राजस्व रिकार्ड, जमाबंदी आदि में हटाया जाना आवश्यक हे इस अनावश्यक नोट के कारण वादीया के नाम वाद उक्त ग्रस्त भूमि का इंतकाल तस्दीक नहीं किया जा रहा हे वादीया वाद ग्रस्त भूमि से माफियात रिज्यूमशन का नोट हटवाने की अधिकारणी हे। वादीया मृतक खातेदार सलीम पुत्र शरीफ खों की उत्तराधिकारी हे वह वाद ग्रस्त भूमि के खातेदार कृषक घोषित करवा कर वाद ग्रस्त भूमि को अपने खाते दर्ज करवाने की अधिकारणी है। वाद प्रस्तुत करने से पूर्व वादीया ने अपने अभिभाषक महोदय के माध्यम से राजस्थान राज्य द्वारा श्री मान कलेक्टर महोदय बारा तथा श्री मान तहसीलदार साहब छबड़ा को धारा 80 सी.पी. सी का नोटिस दिनांक 26/03/2024 को इस आशय का प्रेषित किया था कि वाद ग्रस्त भूमि की जमाबंदी से माफियात रिज्यूमशन का नोट हटाया जावे वाद ग्रस्त भूमि का वादीया को खातेदार कृषक घोषित कर यह भूमि वादीया के नाम राजस्व रिकार्ड मे दर्ज की जावे परन्तु नोटिस की समयावधि समाप्त होने के पश्चात भी उनके द्वारा कोई कार्यवाही नही की गई।

वादिया का वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। वादिया द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में नकल जमाबन्दी ग्राम चावलखेडी सम्वत् 2076–79 खाता संख्या 203 नकल मृत्यु प्रमाण पत्र पेश किया नफीसा द्वारा 50/– के स्टाम्प अपना शपथ पत्र पेश किया।

बहस अभिभाषक वादिया सुनी गई बहस के दौरान वकील वादिया द्वारा वाद पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराया गया। वकील वादिया का कथन है कि विवादित आराजी वाके ग्राम चावलखेडी तहसील छबडा में स्थित है। जो वर्तमान में वादिया के पति सलीम पुत्र शुरी खां जाति मुसलमान के खातेदारी मं दर्ज चली आ रही है वादिया के पति सलीम का देहान्त दिनांक 04.10.2023 को हो चुका है वादिया मृतक सलीम की एक मात्र उत्तराधिकारी है वादिया अपने पति की मृत्यु के बाद फोती नामान्तरण खुलवाना चाहती है परन्तु खाते में माफियात रिज्यूमशन दर्ज होने के कारण नामान्तरण दर्ज नही किया जा रहा है राज0 भूमि सुधार तथा जागीर पुनग्रहण अधिनियम 1952 के प्रावधानों के अन्तर्गत माफी की जमीनों पर कानूनन खातेदारी अधिकार प्रदान किये जा चुके है इस कारण राजस्व रिकार्ड में माफियात रिज्यूमशन एक अनावश्यक अंकन है। पहले माफी की भूमियों पर राजस्व रिकार्ड में माफियात का अंकन होता था इस एक्ट के प्रावधान लागू होने पर माफियात रिज्यूम तो हो गई माफियात रिज्यूमशन का नोट लगा दिया गया था इस प्रकार नोट का अब कोई औचित्य नही रहा है वादिया को अनेकानेक परेशानियों का सामना करना पड रहा है राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी से

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

रिज्यूमशन हटाया जाना आवश्यक है वादिया माफियात रिज्यूमशन का नोट हटवाने की अधिकारी है।

तहसीलदार छबडा से इस सम्बन्ध में रिपोर्ट ली गई तहसीलदार छबडा ने रिपोर्ट में बताया कि ग्राम चावलखेडी की वर्तमान जमाबन्दी खाता संख्या 203 के खसरा नम्बर 231,234 रकबा 0.1770 है भूमि में रिज्यूमशन सलीम पुत्र शरीफ खां हिस्सा पूर्ण जाति मुसलमान सा0देह माफियात रिज्यूमशन दर्ज है सेटलेमेन्ट जमाबन्दी सम्वत् 2012–31 के खाता संख्या 36 बशरह सदर खाता नम्बर 1 माफी मुल्ला खां बल्द अब्दुल खां कोम मुसलमान सा0देह खसरा नम्बर 79,80,231,234,236,237,238,239, कुल किता 8 रकबा 9.10 बीघा भूमि दर्ज रिकार्ड है जमाबन्दी सम्वत् 2064–67 खाता संख्या 143 में नामान्तरण संख्या 593 दिनांक 13.10.2010 विभाजन से निम्न प्रकार खाता विभाजन हुआ। सलीम पुत्र शरीफ खां जाति मुसलमान सा0देह रहन SBI (ADB) शाखा छबडा खसरा नम्बर 234 रकबा 0.09 बीघा खसरा नम्बर 231 रकबा 0.05 बीघा कुल 2 किता रकबा 14 बिस्वा भूमि में नाम दर्ज करने का आदेश हुआ उक्त खसरा नम्बर पर सलीम पुत्र शरीफ खां का ही कब्जा काश्त चला आ रहा है उक्त खसरा नम्बर पर सेटलमेन्ट जमाबन्दी से ही माफी रिज्यूम शब्द दर्ज चला आ रहा है इसलिए खातेदार के हित में उक्त भूमि से नियमानुसार माफी रिज्यूमशन हटाया जाना उचित होगा।

बहस अभिभाषक वादिया सुनी गई। पत्रावली एवं रिकार्ड का अवलोकन किया गया। वादिया द्वारा प्रस्तुत नकल जमाबन्दी ग्राम चावलखेडी सम्वत् 2076–79 खाता संख्या 203 में रिज्यूमशन सलीम पुत्र शरीफ खां जाति मुसलमान सा0देह माफियात रिज्यूमशन दर्ज है नकल मृत्यु प्रमाण पत्र दिनांक 13.10.2023 के अनुसार सलीम खां की मृत्यु दिनांक 04.10.2023 को होना दर्ज है खाते में रिज्यूमशन दर्ज होने के कारण फोती नामान्तरण नही खुल पा रहा है विवादित भूमि का सेटलमेन्ट जमाबन्दी से ही माफी रिज्यूमशन दर्ज चली आ रही है रिज्यूशन दर्ज होने से फोती नामान्तरण रहन बेचान करने में परेशानी आ रही है सम्वत् 2012 से खातेदारों के मध्य रहन बेचान/हस्तान्तरण व नामान्तरण खुले है परन्तु वर्तमान में नामान्तरण की प्रक्रिया ऑनलाईन होने के कारण नामान्तरण खोलनें की समस्या आ रही है एवं रिकार्ड दुरूस्त नही हो पा रहा है प्रार्थीया मृतक खातेदारान के वारिसान के नाम फोती नामान्तरण दर्ज करवाने की अधिकरी है।

इस वाद को निर्णत करने हेतु यहां जागीरदारी एक्ट की धारा 9 एवं आर0टी0एक्ट की धारा 15 विचाराधीन है :–

जागीरदारी एक्ट की धारा–9 :– "जागीर भूमि के प्रत्येक काश्तकार को जो अधिनियम के प्रारम्भ के समय राजस्व अभिलेखों में एक खातेदार,पट्टेदार,खादिमदार के रूप में या की अन्य रूप में जिसमें यहां अन्तहित हो कि काश्तकार को काश्तकारी में आनुवंशिक और पूर्ण अन्त के अधिकार प्राप्त है,दर्ज है। ऐसे अधिकार प्राप्त रहेगें और वह ऐसी भूमि के सम्बन्ध में खातेदार काश्तकार कहलायेगा "

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

आ0टी0एक्ट की धारा–15 :– प्रत्येक व्यक्ति जो इस अधिनियम के प्रारम्भ के समय भूमि के शिकमी आसामी या खुदकाश्त के आसामी के अलावा अन्य प्रकार का आसामी हो या जो, इस अधिनियम के प्रारम्भ के पश्चात् शिकमी आसामी या खुदकाश्त के आसामी या राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 (राजस्थान अधिनियम 15 सन् 1956) की धारा 101 के अन्तर्गत बनाये गये नियमों के अधीन तथा उनके अनुसरण में भूमि का आवंटिती के अतिरिक्त आसामी की हैसियत से प्रविष्ट कर लिया जाय अथवा जो इस अधिनियम के या राजस्थान लैण्ड रिफार्म्स एण्ड रिज्युमशन ऑफ जागीर्स एक्ट 1952 (राज. एक्ट 6, सन् 1952) के अथवा तत्समय प्रवृत्त अन्य किसी विधि के उपबन्धों के अनुसरण में भूमि खातेदारी अधिकार अर्जित करता है खातेदार आसामी होगा, और इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहतें हुए इस अधिनियम द्वारा खातेदार आसामी को प्रदत्त समस्त अधिकारों का हकदार होगा तथा आरोपित समस्त दायित्वों के अधीन रहेगा।

चूकिं इस प्रकरण में माफी रिज्यूम खाते में दर्ज काश्तकार द्वारा वाद नही किया गया है बल्कि काश्तकार के उत्तराधिकारी के रूप में वाद दायर किया गया है उत्तराधिकारियों की जॉच कर नामान्तरण खोलना एक अलग प्रक्रिया है एवं तहसीलदार द्वारा पूर्ण की जानी है परन्तु विवादित आराजी पर रिज्यूम माफी दर्ज होने से यह प्रक्रिया नही हो पा रही है विवादित भूमि का पूर्व में वैध हस्तान्तरण हुआ है तथा आर0टी0एक्ट की धारा 15 के तहत यह अनआवश्यक अंकन है अतः काश्तकार के नाम से माफीयात रिज्यूम हटाया जाना न्यायाहित में उचित है। तहसीलदार की रिपोर्ट के अनुसार वादीगण का लगातार कब्जा काश्त रहा है। तथा माफी रिज्यूम होने से वादी को किसी प्रकार का ऋण आदि का लाभ नही मिल पा रहा है जिससें वादी को समस्याओं का सामना करना पड रहा है। अतः जमाबन्दी से माफी रिज्युमशन हटाया जाना न्यायाहित में आवश्यक है। वादी का वाद स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

:: क्रियात्मक आदेश ::

उपरोक्त विवेचनानुसार वादिया का वाद स्वीकार किया जाता है विवादित आराजी वाके ग्राम चावलखेडी तहसील छबडा के खाता संख्या 203 के खसरा नम्बर 231 रकबा 0.0632 खसरा नम्बर 234 रकबा 0.1138 है0 भूमि में काश्तकार के नाम से माफीयात रिज्यूमशन शब्द हटाने के आदेश तहसीलदार छबडा को दिये जातें है। तद्नुरूप डिक्री पर्चा जारी हों।

निर्णय लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रामसिंह गुर्जर)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
छबडा (बारां)

उपखण्ड अधिकारी, छबडा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, छबडा जिला बारां (राज0)

डिक्री

वाद संख्या 50 / 2024	धारा 88,89,91 आर टी एक्ट	निर्णय दिनांकः– 12.2.25
समक्ष : श्री रामसिंह गुर्जर आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी, छबडा जिला बारां		
उपस्थिति :अभिभाषकवादीः–श्री टीकमचन्द ढोडरिया–वादी	अभिभाषक प्रतिवादीः–	

वाद शीर्षक

उनवान

1. नफीसा आयु 70 वर्ष पत्नि सलीम जाति मुसलमान निवासी ग्राम चावलखेडी तहसील छबडा जिला बारां (राज0)

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार छबडा जिला बारां (राज0)

निर्णयार्थ प्रस्तुत वाद में यह आदेशित किया जाता है और तदनुरूप डिक्री निर्गत की जाती है कि

वादिया का वाद स्वीकार किया जाता है विवादित आराजी वाके ग्राम चावलखेडी तहसील छबडा के खाता संख्या 203 के खसरा नम्बर 231 रकबा 0.0632 खसरा नम्बर 234 रकबा 0.1138 है0 भूमि में काश्तकार के नाम से माफीयात रिज्यूमशन शब्द हटाने के आदेश तहसीलदार छबडा को दिये जातें है।

साथ ही नियमानुसार ..... रू0 का व्ययानुतोष ..... द्वारा ..... को प्रदान किया जाए।
उक्त आदेश मेरे हस्ताक्षर एव न्यायालय की मुद्रा के साथ आज दिनांक 12.2.25 को निर्गत किया गया।

उपखण्ड अधिकारी,
छबडा (बारां)

क्र.स.	व्यय मद	व्ययानुतोष	
		वादी	प्रतिवादी
1.	वादपत्र / लिखित कथन		
2.	अभिभाषकपत्र (स्टाम्प+लिखितसामग्री व्यय)		
3.	साक्ष्य पत्रक (स्टाम्प+लिखितसामग्री व्यय)		
4.	प्रार्थनापत्र (स्टाम्प+लिखितसामग्री व्यय)		
5.	पारिश्रमिकअभिभाषक		
6.	व्यय साक्षी		
7.	फीसकमिश्नर		
8.	अन्य / क्षतिपूर्ति		
9.	ब्याज (:)		
10.	योग		